दि एम.पी.स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन
पंचानन भवन, तृतीय मंजिल,मालवीय नगर, भोपाल
Phone: 0755-2551652/2551756/2556857; FAX 2557305
Email: mpagrohobpl@gmail.com

वर्ष 2017–18 के लिये

बायोगैस सहायक सामग्री एचडीपीई पाईप 20 एम.एम के प्रदाय हेतु

रेट कान्ट्रेक्ट आफर

दस्तावेज प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक 28 सितम्बर 2017 अपरान्ह 2.00 बजे तक

महाप्रबंधक (एनसीई)

M P AGRO

दि एम.पी.स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन
पंचानन भवन, तृतीय मंजिल,मालवीय नगर, भोपाल
Phone: 0755-2551652/2551756/2556857; FAX 2557305
Email: mpagrohobpl@gmail.com

मुख्या/आर.सी.ओ./एनसीई/2017–18/ भोपाल, दिनांक 04 सितम्बर,2017

रेट कान्ट्रेक्ट आफर (आर.सी.ओ.) सूचना

निगम द्वारा वर्ष 2017–18 के लिये बायोगैस सहायक सामग्री आई.एस.आई. मार्क 20 एम.एम.एच.डी.पी.ई. पाईप के लिये सामग्री के निर्माताओं से ई–निविदा पद्धति के अंतर्गत रेट कान्ट्रेक्ट आफर आमंत्रित किये जाते है । आफर प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि दिनांक 28 सितम्बर 2017 अपरान्ह 2.00 बजे तक है । विस्तृत जानकारी निगम की वेबसाईट www.mpeproc.gov.in. एवं **www.mpagro.org** पर उपलब्ध है। रेट कान्ट्रेक्ट आफर सूचना में कोई संशोधन / परिवर्तन किये जाने की दशा में संशोधन/परिवर्तन की सूचना समाचार पत्रों में प्रकाशित न करते हुए केवल उपर्युक्त पोर्टल/वेबसाईट पर दी जाएगी।

महाप्रबंधक (एनसीई)

परिशिष्ट–1

दि एम.पी.स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि.

पंचानन भवन, तृतीय मंजिल,मालवीय नगर, भोपाल

रेट कान्ट्रेक्ट आफर (आर.सी.ओ.)

यह दस्तावेज निम्नानुसार कुल 21 पृष्ठ का है :

कमांक	विवरण	परिशिष्ठ कमांक	पृष्ठ कमांक
1	रेट कान्ट्रेक्ट आफर दस्तावेज विवरण ।	परिशिष्ठ 1 का बिन्दु 1	2
2	रेट कान्ट्रेक्ट की प्रकिया ।	परिशिष्ठ 1 का बिन्दु 2	3
3	कार्य के अवसर ।	परिशिष्ठ 1 का बिन्दु 3	3
4	आफरकर्ताओं को निर्देश ।	परिशिष्ठ 1 का बिन्दु 4	3
5	आफर की सामान्य शर्ते ।	परिशिष्ठ 2	4–9
6	तकनीकी योग्यता –दस्तावेज जिनको वेबसाईट पर अपलोड किया जाना आवश्यक है ।	परिशिष्ठ 3	10
7	आफरकर्ताओं को निर्देश ।	परिशिष्ठ 4	11
8	सामग्रियों के मापदण्ड ं।	परिशिष्ठ 5	12
9	आफरकर्ता की आर्हता के संबंध में ।	परिशिष्ठ 6	13
10	वित्तीय आफर का प्रारूप ।	परिशिष्ठ 7	14
11	रेट कान्ट्रेक्ट आफर में प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेज।	परिशिष्ठ 8	15
12	अनुबंध का प्रारूप ।	परिशिष्ठ 9 एवं 9 अ	16–17
13	रेट कान्ट्रेक्ट आफर में भाग लेने हेतु कम्पनी द्वारा जारी अधिकार पत्र ।	परिशिष्ठ 10	18
14	रेट कान्ट्रेक्ट आफर में भाग लेने हेतु सहमति/घोषणा पत्र ।	परिशिष्ठ 11	19
.15	आफरकर्ता का विस्तृत विवरण।	परिशिष्ठ 12	20–21

•	**निगम**		**दि एम.पी.स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि.**
•	**कयकर्ता एवं प्राप्तकर्ता**		**निगम मुख्यालय द्वारा क्षेत्रीय प्रबंधक की मांगानुसार सामग्री कय हेतु आदेश दिये जायेंगे । जिला प्रबंधकों द्वारा सामग्री प्राप्त की जावेगी ।**
•	**आवेदन प्रपत्र/दस्तावेज**		**आवेदन पत्र एवं संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों का उल्लेख रेट कान्ट्रेक्ट प्रपत्र में किया गया है।**
•	**आवेदक/आफरकर्ता**		**प्रदायक जिनके व्दारा रेट कान्ट्रेक्ट आफर प्रकिया में भाग लिया गया हो**
•	**प्रदायक**		**ऐसे आफरकर्ता जिनकी दरें रेट कान्ट्रेक्ट आफर के अन्तर्गत अनुमोदित की गई हो तथा निगम के माध्यम से प्रदाय हेतु आफरकर्ता द्वारा अनुबंध किया गया हो**
•	**संकल्प धनराशि (ई एम डी)**		**आफरकर्ता द्वारा रेट कान्ट्रेक्ट आफर प्रकिया में भाग लेने हेतु जमा की गई राशि**
•	**धरोहर राशि**		**आफरकर्ता की दरों के अनुमोदन एवं निगम के साथ अनुबंध होने की दशा में प्रदायक द्वारा जमा ई.एम.डी. को अनुबंध की अवधि के दौरान धरोहर राशि के रूप में जमा रखा जाएगा ।**
•	**प्रबंध संचालक**		**प्रबंध संचालक से आशय निगम के प्रबंध संचालक से है**

2. **रेट कान्ट्रेक्ट आफर की प्रकिया :–**

रेट कान्ट्रेक्ट आफर ई टेन्डिरिंग पद्धति के माध्यम से आमंत्रित किये गये है तथा रेट कान्ट्रेक्ट आफर की प्रकिया निम्नानुसार है :–

प्रकियाओं का विवरण	नियत दिनांक
रेट कान्ट्रेक्ट आफर का डाउनलोड किया जाना	दिनांक 4 सितम्बर 2017 से दिनांक 28 सितम्बर, 2017 अपरान्ह 1.00 बजे तक
रेट कान्ट्रेक्ट आफर वेबसाईट पर अपलोड करने की अंतिम तिथि एवं समय	दिनांक 28 सितम्बर 2017 अपरांह 2.00 बजे तक
वेबसाईट पर अपलोड किये गये तकनीकी दस्तावेजों का परीक्षण	दिनांक 28 सितम्बर 2017 अपरांह 3.30 बजे
उपयुक्त पाये गये आफर के वित्तीय प्रस्ताव को खोला जाना	अनुमानित तिथि दिनांक 10 अक्टूम्बर,2017 अपरांह 4.00 बजे किन्तु यदि उक्त तिथि में परिवर्तन किया जाता है तो उसकी सूचना निगम की वेबसाईट पर दी जाएगी।

3. **कार्य के अवसर : –**

भारत सरकार, नवीन एवं नवीकरणीय उर्जा मंत्रालय द्वारा संचालित राष्ट्रीय बायोगैस एवं मैन्योर मेनमजमेंट कार्यक्रम के अन्तर्गत निगम द्वारा लाभार्थियों के यहां पारिवारिक बायोगैस संयत्र की स्थापना की जाती है। वर्ष 2017–18 में लगभग 6000 बायोगैस संयंत्र की स्थापना निगम द्वारा अनुमानित की गई है। हितग्राहियों की मांग होने पर बायोगैस संयंत्र हेतु आवश्यक सहायक सामग्रियों का प्रदाय निगम के जिला कार्यालयों के माध्यम से किया जाता है। रेट कान्ट्रेक्ट आफर के अन्तर्गत वांछित सामग्रियों का व्यवसाय निगम के माध्यम से संभावित है किन्तु व्यवसाय की मात्रा निर्धारित नही है।

4. **आफरकर्ता को निर्देश : –**

सभी योग्य आफरकर्ताओं से वांछित है कि वे रेट कान्ट्रेक्ट आफर के प्रत्येक पृष्ठ का तथा इसमे वर्णित शर्तो को सावधानीपूर्वक अध्ययन करे । रेट कान्ट्रेक्ट आफर के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर इसे अपलोड करें ।

डिजीटल सिग्नेचर के साथ रेट कान्ट्रेक्ट आफर में दिये गये निर्देशानुसार आफर को वेबसाईट पर अपलोड करे। यदि आफरकर्ता द्वारा रेट कान्ट्रेक्ट आफर एवं इसमें वर्णित किये दस्तावेज अपलोड नही किये जाते है तथा हार्ड कापी ही प्रस्तुत की जाती है तो ऐसे आफर को मान्य नही किया जाएगा। ।

रेट कान्ट्रेक्ट आफर में वर्णित प्रपत्रों को 600 डी पी आई के रिजाल्यूशन में जे पी जी अथवा पी डी एफ फार्मेट में अपलोड करे। अन्य किसी फार्मेट में अपलोड किये गये प्रपत्रों को मान्य नही किया जाएगा। यदि अपलोड किये गये प्रपत्र अपठनीय पाये गये तो आफरकर्ता द्वारा प्रस्तुत की गई हार्ड कापी को अंतिम मान्य किया जाएगा।

वेबसाईट से डाउनलोड किये गये आर सी ओ प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करते हुए तथा अपलोड किये गये प्रपत्रों की स्केन कापी एवं ई एम डी का बैंक ड्राफ़्ट दिनांक 28 सितम्बर 2017 अपरान्ह 2.00 बजे तक निगम मुख्यालय में प्रस्तुत करे।

सभी आफरकर्ताओं से वांछित है कि आफर अपलोड करने के लिये अंतिम तिथि का इन्तजार नही करें ताकि सर्वर, नेट वर्क आदि समस्याओं से बचा जा सके।

महाप्रबंधक (एनसीई)

परिशिष्ट–2

दि एम.पी.स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन

पंचानन भवन, तृतीय मंजिल,मालवीय नगर, भोपाल

रेट कान्ट्रेक्ट आफर प्रपत्र

वर्ष 2017–18 के लिये बिन्दु क्रमांक 3.4 एवं 13 (स) अनुसार परिशिष्ठ 5 के अन्तर्गत निर्धारित मापदण्डों को पूरा करने वाले एवं परिशिष्ठ 6 के अनुसार निर्धारित आर्हताओं को पूर्ण करने वाले आफरकर्ताओं से परिशिष्ठ क्रमांक 7 में दरें आमंत्रित की जाती है।

दरें सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में निगम के समस्त जिला प्रबंधक कार्यालय तक बायोगैस सहायक सामग्री पहुंचाकर लागू रहेगी। वेबसाईट पर अपलोड किये जाने वाले दस्तावेजों की जानकारी **परिशिष्ट क्रमांक 3** में दी गई है । आफरकर्ता को आफर प्रस्तुत करने के लिये सामान्य **निर्देश परिशिष्ठ क्रमांक 4** तथा प्रदाय की जाने वाली सामग्रियों के मापदण्ड **परिशिष्ट 5** पर पर संलग्न है।

रेट कान्ट्रेक्ट आफर से संबंधित सामान्य शर्ते निम्नानुसार है :–

1. **आफर प्रस्तुत करने की आहर्ता**

   प्रदाय के लिये आफरकर्ता की आर्हताएं **परिशिष्ठ क्रमांक 6** अनुसार रहेंगी।

2. **आर सी ओ प्रपत्र का कय**

   रेट कान्ट्रेक्ट आफर प्रपत्र का मूल्य रू. 1,000.00 (वापसी योग्य नही) है तथा निर्धारित राशि का आनलाईन भुगतान कर आफरकर्ता इस प्रपत्र को वेबसाईट www.mpeproc.gov.in. से डाउनलोड कर सकेंगे।

3. दर प्रस्तुत करने संबंधी शर्त

   3.1 आफरकर्ता द्वारा प्रदाय हेतु दर परिशिष्ट क्रमांक 7 अनुसार दी जाना आवश्यक है।

   3.2 आफरकर्ता द्वारा निगम को जो दर प्रस्तुत की जावेगी वह मध्यप्रदेश में स्थित निगम के समस्त जिला कार्यालयों तक एफ.ओ.आर. एवं सभी प्रकार के व्यय/कर सहित होगी ।

   3.3 आफरकर्ता द्वारा जो दर निगम को ऑफर की गयी है वह रेट कान्ट्रेक्ट आफर की **शर्त क्रमांक 20** के तहत् न्यूनतम होना आवश्यक है ।

   3.4 रेट कान्ट्रेक्ट आफर के तहत अनुमोदित दरें अनुबंध निष्पादित होने के दिनांक से 1 वर्ष की अवधि अथवा निगम द्वारा नवीन दरों के निर्धारण तक, जो भी बाद में हो, लागू रहेगी।

   3.5 आफरकर्ता द्वारा दरें अंकों में एवं शब्दों में दिया जाना आवश्यक है। अंकों एवं शब्दों में अंतर की दशा में दोनो में से न्यूनतम दर को मान्य किया जावेगा ।

4. **आफर प्रस्तुत करने की प्रकिया**

   (अ) वेबसाईट www.mpeproc.gov.in. से डाउनलोड किये गये रेट कान्ट्रेक्ट आफर प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ को हस्ताक्षरित करते हुए आफर के साथ अपलोड किया जाना एवं हार्ड कापी निगम मुख्यालय में निर्धारित समय एवं तिथि तक प्रस्तुत की जाना आवश्यक होगी।

   (ब) एक आफरकर्ता से एक ही आफर स्वीकार किया जाएगा। यदि **निर्माता** एवं उनके अधिकृत विक्रेता दोनो ही के द्वारा रेट कान्ट्रेक्ट आफर के अन्तर्गत समान सामग्री के लिये आफर प्रस्तुत किये जाते है तो ऐसे दोनो आफर्स को अमान्य किया जाएगा।

(स) रेट कान्ट्रेक्ट आफर प्रपत्र के **परिशिष्ठ कमांक 7** के अनुसार दरें प्रस्तुत की जाना आवश्यक होगी। शर्त कमांक 4 (इ) तथा रेट कान्ट्रेक्ट आफर में अन्यत्र कहीं भी उल्लेखानुसार सभी वांछित जानकारियां/दस्तावेज संलग्न किया जाना आवश्यक है। वांछित दस्तावेज प्रस्तुत न किये जाने की दशा में आफरकर्ता के आफर को निरस्त किया जावेगा।

(द) आफर के साथ संकल्प धन राशि (जो परिशिष्ठ कमांक 5 में उल्लेखानुसार आफर की जाने वाली सामग्री अनुसार होगी) का बैंक ड्राफ्ट जो एम पी स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड के नाम से भोपाल देय हो, संलग्न होना आवश्यक है। संकल्प धन राशि के अभाव में प्रस्तुत किया गया आफर मान्य नहीं किया जावेगा।

(इ) आफर प्रस्तुत करने लिये निर्धारित आर्हताओं से संबंधित ''सील्ड लिफाफा में आफरकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। दस्तावेजो को sealed लिफाफा में प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेजों का विवरण **परिशिष्ठ कमांक–8** पर संलग्न है।
लिफाफे के ऊपरी भाग पर आफरकर्ता निम्नानुसार जानकारी अंकित करेंगे :–

1. आफर की गई बायोगैस सहायक सामग्री, सामग्री का विवरण नाम ....के प्रदाय हेतु संकल्प धनराशि एवं अन्य तकनीकी विवरण – नियत तिथि 28 सितम्बर, 2017 को अपरान्ह 2.00 बजे के पूर्व बाक्स (जो इस कार्यालय में निगम के महाप्रबंधक (एनसीई) के कक्ष में रखा जाएगा) में प्रस्तुत कियें जा सकेंगे। आफर की वैद्यता अवधि 120 दिवस रहेगी ।

2. **वित्तीय आफर निर्धारित प्रारूप में केवल वेबसाईट पर अपलोड किये जाएगें ।**

5. <u>सैपल प्रस्तुत किये जाना :</u>

आफर की गई सामग्रियों के सैम्पल (एच.डी.पी.ई. पाईप का 3 मीटर) निर्धारित तिथि 28 सितम्बर,,2017 तक निगम मुख्यालय में निर्धारित तिथि 28 सितम्बर,2017 तक जमा करना आवश्यक है।

6. **सशर्त** रेट कान्ट्रेक्ट आफर अमान्य किया जाएगा ।

निगम द्वारा रेट कान्ट्रेक्ट आफर प्रपत्र में उल्लेखित शर्तो के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की शर्त मान्य नही की जावेगी। सशर्त आफर को अमान्य किया जावेगा ।

7. <u>संकल्प धनराशि :</u>

रेट कान्ट्रेक्ट आफर के साथ संकल्प धन राशि (परिशिष्ठ कमांक 5 में उल्लेख अनुसार होगी) का बैंक ड्राफ्ट जो एम पी स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड के नाम से भोपाल देय होगा, आफरकर्ता को प्रस्तुत करना आवश्यक है। **संकल्प धन राशि के अभाव में प्रस्तुत रेट कान्ट्रेक्ट आफर को अमान्य किया जायेगा।**

पूर्व में निगम में जमा संकल्प धनराशि/धरोहर राशि को इस रेट कान्ट्रेक्ट आफर के अन्तर्गत मान्य/समायोजित नही किया जाएगा।

8. **संकल्प धनराशि को जप्त किया जाना**

संकल्प धनराशि निम्न स्थितियों में जप्त की जा सकती है :–

1. निगम द्वारा आफरकर्ता के ऑफर को स्वीकृत/अमान्य/निरस्त करने के पूर्व अपना ऑफर वापस लिये जाने की दशा में।
2. ऑफर के साथ गलत जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत करने की दशा में।
3. आफरकर्ता द्वारा ऐसी कार्यवाही करने पर जिससे निगम की छबि को हानि पहुंचे।

निगम के प्रबंध संचालक के निर्णयानुसार उपरोक्त स्थितियों में ई.एम.डी. जप्त की जा सकेगी ।

9. **<u>धरोहर राशि :</u>**

(अ) आफरकर्ता द्वारा संकल्प धन राशि के रूप में जमा की गयी राशि आफरकर्ता के अनुबंध हस्ताक्षरित करने के पश्चात् धरोहर राशि के रूप में निगम के पास अनुबंध की प्रभावशीलता लागू होने तक जमा रहेगी।

(ब) अनुबंध की प्रभावशीलता **अवधि समाप्त होने के बाद** कोई विवाद न होनें की दशा में आफरकर्ता द्वारा लिखित में मांगे जाने पर धरोहर राशि बिना ब्याज के वापस की जा सकेगी।

(स) धरोहर राशि निम्न स्थितियों में जप्त की जा सकती है :–

(1) निगम आदेश के विरूद्ध निर्धारित समय सीमा में आदेशित सामग्री प्रदाय न किये जाने पर।

(2) प्रदाय सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मांपदण्डों के अनुरूप न होनें की दशा में ।

(3) आफरकर्ता द्वारा ऐसी कोई कार्यवाही करनें पर जिससे निगम की छवि को हानि पहुंचे/निगम को कोई व्यवसायिक हानि हो ।

(4) निगम के प्रबंध संचालक के निर्णयानुसार उपरोक्त स्थितियों में धरोहर राशि जप्त की जा सकेगी ।

10. **<u>ऑफर की वैधता :</u>**

प्राप्त ऑफर खोले जाने की तिथि से 120 दिवस तक मान्यता हेतु वैध रहेंगे । अंतिम निर्णय न होने की दशा में इस तिथि के पश्चात भी निगम प्राप्त दरों पर आवश्यक निर्णय ले सकेगा यदि आफरकर्ता ने प्रस्तुत दरों को अमान्य करने हेतु लिखित में निगम को सूचित नहीं किया गया हो ।

11. **<u>रेट कान्ट्रेक्ट आफर का खोला जाना</u>**

रेट कान्ट्रेक्ट आफर बाक्स में 28 सितम्बर, 2017 को अपरान्ह 2.00 बजे तक जो आफर्स प्राप्त होंगे, उनके द्वारा अपलोड की गई तकनीकी योग्यता संबंधी दस्तावेजों एवं रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर में प्रस्तुत की गई जानकारियों का परीक्षण उपस्थित आफरकर्ताओं अथवा उनके मनोनीत प्रतिनिधियों के समक्ष **दिनांक 28 सितम्बर, 2017** अपरान्ह 3.30 बजे समिति द्वारा किया जाएगा।

परीक्षणोपरांत योग्य पाये गये आफर्स के वित्तीय प्रस्तावों को आफरकर्ताओं के अथवा उनके प्रतिनिधि के समक्ष दिनांक 10 अक्टूम्बर, 2017 को अपरान्ह 4.00 बजे खोला जाएगा। ***<u>यदि किसी कारण वश उपर्युक्त दिनांक को वित्तीय प्रस्ताव नही खोले जा सके तो आगामी तिथि निर्धारित कर इसकी सूचना निगम की वेबसाईट पर अपलोड की जाएगी।</u>***

रेट कान्ट्रेक्ट आफर सूचना में कोई संशोधन/परिवर्तन किये जाने की दशा में संशोधन/परिवर्तन की सूचना समाचार पत्रों में प्रकाशित न करते हुए केवल उपर्युक्त पोर्टल/वेबसाईट पर दी जाएगी।

12. **दरें स्वीकार की जाना** :

12.1 आफरकर्ता जिसके द्वारा न्यूनतम दर प्रस्ताव दिये गये है ऐसे आफरकर्ता की दर को स्वीकार कर आफरकर्ता को सूचित किया जाएगा। ऐसे आफरकर्ता को निगम द्वारा निर्धारित की गई समय–सीमा में निगम के साथ अनुबंध निष्पादित करना आवश्यक होगा।

12.2 यदि न्यूनतम आफरकर्ता द्वारा बिन्दु कमांक 12.1 में वर्णित अनुबंध निष्पादित नही किया जाता है तो ऐसे आफरकर्ता द्वारा जमा की गई ई एम डी की राशि जप्त की जाएगी एवं उक्त न्यूनतम दर का प्रतिप्रस्ताव द्वितीय न्यूनतम दर प्रस्तुतकर्ता को दिया जाएगा तथा प्रतिप्रस्ताव पर आफरकर्ता की सहमति प्राप्त होने पर आफरकर्ता को अनुबंध निष्पादित करने की सूचना दी जाएगी।

13. <u>अनुबंध का निष्पादन–</u>

(अ) **आफरकर्ता जिनकी दरें अनुमोदित की जाएगी ऐसे आफरकर्ताओं को अनुबंध निष्पादित करने हेतु सूचना दी जावेगी। निर्धारित प्रारूप (परिशिष्ट क्र. 9) में राशि रूपये 1000/– के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर अनुबंध निष्पादित करना होगा तथा अनुबंध को नोटराइज कराया जाना अनिवार्य है।**

(ब) **आफरकर्ताओं जिनकी दरों को स्वीकार किया गया है तथा ऐसे आफरकर्ताओं द्वारा निर्धारित समय सीमा में निगम के साथ अनुबंध निष्पादित नहीं किया जाता है तो निगम आफरकर्ता द्वारा प्रस्तुत रेट कान्ट्रेक्ट आफर को अमान्य करते हुए जमा संकल्प धन राशि को जप्त कर सकता है ।**

(स) **अनुमोदित दरें** अनुबंध निष्पादित होने के दिनांक से 1 वर्ष की अवधि अथवा निगम द्वारा नवीन दरों के निर्धारण तक जो भी बाद में हो, लागू रहेगी।

(द) निगम से अनुबंध निष्पादित किये जाने के पश्चात **आफरकर्ता को प्रदायक कहा जायेगा** ।

14. <u>प्रदाय की प्रक्रिया –</u>

(अ) निगम के क्षेत्रीय प्रबंधकों की मांग के क्रम में प्रदाय आदेश मुख्यालय द्वारा जारी किये जाएगे। प्रदाय आदेशानुसार आदेशित मात्रा निर्धारित अवधि में एवं निर्धारित मापदण्ड की सामग्री का प्रदाय प्रदायक द्वारा किया जाना आवश्यक है।

(ब) सामग्री की गुणवत्ता की सम्पूर्ण जिम्मेदारी प्रदायक की रहेगी । किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर प्रदायक द्वारा निरीक्षण कर शिकायत का निराकरण किया जाएगा। आवश्यकता होने पर ऐसी सामग्री को उपयोगकर्ता को बदल कर दिया जाएगा।

15. बिना आदेश के कोई भी सामग्री का प्रदाय मान्य नही किया जाएगा तथा प्रदायक यदि ऐसा करता है तो ऐसे प्रदाय की समस्त जिम्मेदारी प्रदायक की होगी तथा ऐसे प्रदाय के लिये प्रदायक द्वारा जारी देयक के भुगतान के लिये निगम जिम्मेदार नही होगा।

15.1 **किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर** एच डी पी ई पाईप का परीक्षण सीपेट भोपाल से निगम द्वारा कराया जाएगा तथा ऐसे परीक्षण पर निगम द्वारा व्यय की गई राशि की प्रतिपूर्ति संबंधित प्रदायक से की जाएगी।

15.2 यदि उपर्युक्त परीक्षण रिपोर्ट में सामग्री गुणवत्तायुक्त नही पायी जाती है तो प्रदायक द्वारा प्रदाय की गई ऐसी सामग्री का भुगतान निगम द्वारा नही किया जाएगा।

15.3 जिला कार्यालय में प्रदाय सामग्री निर्धारित मापदण्ड एवं गुणवत्ता की न होने पर एवं निर्धारित परीक्षण में सामग्री अमानक पाये जाने पर प्रदायक को सामग्री का भुगतान नहीं किया जावेगा एवं प्रदायक की अर्नेस्ट मनी राजसात कर अनुबंध निरस्त किये जाने का अधिकार निगम को होगा ।

16. सामग्री के प्रदाय हेतु निर्धारित प्रक्रिया एवं समय सीमा

(अ) प्रदायक द्वारा निगम के आदेशानुसार अधिकतम 7 दिवस के अंदर सामग्री प्रदाय करनी होगी।

(ब) आदेशित मात्रानुसार सामग्री निगम के जिला कार्यालय तक पहुंचाने की समस्त जवाबदारी संबंधित प्रदायक की रहेगी ।

(स) प्रदायक द्वारा यदि प्रदायगी में विलंब किया जाता है एवं विलंब के कारण निगम को हानि होती है तो इस हानि के लिए प्रदायक की जवाबदारी होगी, जिसकी वसूली निगम प्रदायक की धरोहर राशि एवं भुगतान हेतु निगम में प्रस्तुत अन्य देयकों से की जावेगी । हानि की राशि का निर्धारण निगम के महाप्रबंधक (एनसीईई) द्वारा किया जावेगा जिसे प्रदायक द्वारा मान्य करना होगा। साथ ही निगम ऐसे प्रदायक की अनुमोदित दरों को निरस्त करते हुये जमा धरोहर राशि को जप्त कर सकेगा तथा ऐसे प्रदायक को प्रदाय से वंचित भी कर सकेगा। तत्संबंध के प्रबंध संचालक का निर्णय अंतिम होगा ।

17. आदेश की प्रकिया :

(अ) क्षेत्रीय प्रबंधक से प्राप्त मांग के आधार पर आदेश निगम मुख्यालय द्वारा जारी किये जायेंगे।

(ब) परिवहन के दौरान आग, चोरी, एक्सीडेंट, टूटफूट आदि किसी भी प्रकार से सामग्री को हुए नुकसान की जवाबदारी प्रदायक की रहेगी। इस प्रकार से हुए नुकसान की भरपाई प्रदायक द्वारा ही पूरी की जाना होगी ।

18. कन्साइनमेंट को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार :

आदेशानुसार निर्धारित मापदण्ड/पैकिंग/समय सीमा में सामग्री प्रदायक द्वारा प्रदाय किया जाना आवश्यक है। निम्न स्थितियों में प्रदायक द्वारा भिजवाया गया कन्साइनमेंट अस्वीकृत किया जा सकता है :-

(अ) निर्धारित मापदण्ड की सामग्री न हाने पर/निर्धारित पैकिंग न होने की दशा में।

(ब) निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के पश्चात् कन्साइनमेंट प्राप्त होने की दशा में।

यदि उक्त कारणो के आधार पर कन्साइनमेंट अस्वीकृत किया जाता है तो उसे निगम द्वारा निर्धारित समय सीमा में प्रदायक को स्वयं के व्यय पर वापिस लेना होगा। किसी भी स्थिति में निगम कन्साइनमेंट वापिस होने से हुए नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं रहेगा ।

19. भुगतान :-प्रदाय की गई सामग्री के देयक को सत्यापित कर निगम के जिला प्रबंधक सत्यापित देयकों को मुख्यालय प्रेषित करेगें तथा सामग्री प्राप्त होने की दिनांक से 60 दिवस की अवधि में सत्यापित देयक की राशि का भुगतान निगम मुख्यालय द्वारा किया जाएगा।

20. प्रदायक द्वारा जो दरें निगम को प्रस्तुत की है वे दरें न्यूनतम होना आवश्यक है। निगम के साथ हस्ताक्षरित अनुबंध के प्रभावशील रहने तक प्रदायकों द्वारा अनुमोदित दरों से कम दर पर अन्य संस्थाओं/व्यक्ति/शासकीय विभाग या उपकम को प्रदाय किये जाने की जानकारी निगम के संज्ञान में आती है तो प्रदायक द्वारा निगम के साथ किये गये अनुबंध दिनांक से उक्त स्थिति के प्रमाणित होने तक प्रदाय की गई समस्त सामग्री पर वही कम दर लागू मानते हुये अंतर की राशि की वसूली प्रदायक के भुगतान हेतु लंबित देयकों से की जावेगी। साथ ही निगम प्रदायक के अनुबंध को निरस्त करते हुए प्रदायक की धरोहर राशि जप्त करने की कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगा, जिसके लिए प्रदायक उत्तरदायी रहेगें।

21. आफरकर्ता/प्रदायक द्वारा आफर प्रस्तुत किए जाने की दशा में यह मान्य किया जावेगा कि उनके द्वारा रेट कान्ट्रेक्ट आफर प्रपत्र को पूर्णतः एवं भली-भांति पढ़ लिया गया है एवं वे सभी शर्तो पर सहमत है।

22. रेट कान्ट्रेक्ट आफर के तहत निर्धारित शर्तो के उल्लंघन पाये जाने की दशा में अथवा किसी भी प्रकार की गलत जानकारी/दस्तावेज दिए जाने की दशा में आफरकर्ता द्वारा प्रस्तुत/निगम द्वारा स्वीकृत आफर को प्रबंध संचालक के अनुमोदन उपरांत निरस्त किया जा सकेगा एवं आफरकर्ता द्वारा जमा की गई संकल्प धन राशि/धरोहर राशि को जप्त किया जा सकेगा। साथ ही संबंधित प्रदायक को निगम के माध्यम से 3 वर्षो तक के लिये सामग्री प्रदायगी से वंचित भी किया जा सकता है । इस संबंध में प्रबंध संचालक का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा ।

23. प्रदायक द्वारा प्रदाय सामग्री से संबंधित कोई भी शिकायत प्राप्त होने पर शिकायत के निराकरण के संबंध में प्रदायक द्वारा 15 दिवस में कार्यवाही की जाना होगी।

24. प्रदायक एवं निगम के बीच यदि कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो प्रकरण निगम के महाप्रबंधक (एन सी ई) को प्रस्तुत किया जावेगा । उनके निर्णय से असंतुष्ट होने की दशा में प्रकरण निगम के प्रबन्ध संचालक को आरबीट्रेटर के रूप में प्रस्तुत किया जावेगा। आरबीट्रेटर के निर्णय से असंतुष्ट होने की दशा में भोपाल न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया जा सकेगा।

25 प्रबंध संचालक को रेट कान्ट्रेक्ट आफर के अंतर्गत प्राप्त आफर(आफर्स) को बिना कोई कारण बताये स्वीकार /अस्वीकार करने का अधिकार होगा ।

महाप्रबन्धक (एन. सी. ई.)

परिशिष्ट 3

तकनीकी योग्यता – दस्तावेजों का विवरण जिन्हें पोर्टल पर अपलोड किया जाना आवश्यक है :

क्रमांक	विवरण
1	20 एम.एम. एचडीपीई पाईप हेतु भारतीय मानक ब्यूरो (बी.आई.एस.) का वैध लाईसेंस की स्वप्रमाणित प्रति ।
2	आफरकर्ता फर्म का आयकर नम्बर (**PAN**) की स्वप्रमाणित प्रति । **नोट** : आफरकर्ता फर्म प्रोपाईटरी फर्म होने की दशा में प्रोपायटरी शिप संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत करने पर आफरकर्ता का व्यक्तिगत आयकर पंजीयन मान्य होगा अतः उपर्युक्त दस्तावेज अपलोड करे ।*
3	विक्रय कर विभाग द्वारा जारी (**G S T No**)
4	रेट कान्ट्रेक्ट आफर के अंतर्गत आफर की गई बायोगैस सहायक सामग्री की शासकीय अथवा शासकीय मान्यता प्राप्त संस्था से कराई गई परीक्षण रिपोर्ट की स्वप्रमाणित प्रति ।
5	आफर की गई बायोगैस सहायक सामग्री के लिये संकल्प धनराशि का ड्राफ्ट –परिशिष्ट क्र. –5 में बायोगैस सहायक सामग्री के समक्ष उल्लेखानुसार ।
6	डाउनलोड किये गये रेट कान्ट्रेक्ट आफर प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर उपरांत आफरकर्ता द्वारा पूर्ण हस्ताक्षरित आर सी ओ प्रपत्र ।
7	रेट कान्ट्रेक्ट आफर में भाग लेने की सहमति एवं घोषणा – परिशिष्ट क्र.–11 के अनुसार राशि रू 500/– के नान ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अन्डरटेकिंग ।

* आवश्यकता होने पर अपलोड किये जाए ।

परिशिष्ठ क्रमांक–4

आफरकर्ताओं के लिये सामान्य निर्देश

1. रेट कान्ट्रेक्ट आफर प्रपत्र www.mpeproc.gov.in वेबसाईट से डाउनलोड किया जाना आवश्यक है। आफरकर्ता द्वारा रेट कान्ट्रेक्ट आफर प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर किये जाना एवं सील लगायी जाना आवश्यक है। **रेट कान्ट्रेक्ट आफर प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर किये जाने एवं सील नही लगाये जाने की दशा में आफर अमान्य किया जाएगा।**
2. परिशिष्ट क्रमांक–3 के अनुसार अपलोड किये गये दस्तावेजो की स्व–प्रमाणित प्रतियॉ प्रस्तुत की जाना आवश्यक है ।
3. रेट कान्ट्रेक्ट आफर प्रपत्र में अन्यत्र कहीं भी उल्लेखानुसार वांछित जानकारी की प्रतियॉ प्रस्तुत की जाना आवश्यक है।
4. रेट कान्ट्रेक्ट आफर की शर्त क्र. 4(द) के अनुसार संकल्प धनराशि जमा की जाना आवश्यक है।
5. परिशिष्ट क्रं.– 7 के अनुसार सामग्री की दरें केवल बेबपोर्टल पर अपलोड करें । इसकी हार्ड प्रति प्रस्तुत नही करें ।
6. निर्धारित समय तक रेट कान्ट्रेक्ट आफर प्रस्तुत किए जाने आवश्यक है।
7. सशर्त रेट कान्ट्रेक्ट आफर अस्वीकार किये जाएगें।

ANNEXURE-5

THE M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED
PANCHANAN, 3 rd FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL-462003

DETAILS OF SPECIFICATION & EMD REQUIRED FOR SUPPLY OF BIOGAS ACCESSORIES

1. The details of items, specification, eligibility, EMD etc. are as under:-

Sl. No	Item	Specifications	Eligibility	E.M.D in the form of D.D. only
2	**HDPE Pipe ISI Marked.** HDPE Pipe 20 mm	As per Annexure-7	Manufacturer.	Rs.50,000.00

परिशिष्ठ क्रमांक 6

प्रदाय के लिये रेट कान्ट्रेक्ट आफर प्रस्तुत करने हेतु आफरकर्ता की आहर्ताएं –

आफरकर्ता जो निम्नानुसार शर्ते पूरी करता हो :–

1. ˙ एच डी पी ई पाईप, के निर्माता जिनके पास बी आई एस द्वारा जारी वैध मान्यता प्रमाणपत्र हो ।
2. आफरकर्ता के आयकर नम्बर (PAN) एवं वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा जारी G.S.T No की स्वप्रमाणित प्रति।
3.. सामग्री का एक सेम्पल भी प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है । एच.डी.पी.ई. पाईप हेतु 3.00 मीटर लम्बाई का सेम्पल प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा। सेम्पल के अभाव में दरों पर विचार नहीं किया जायेगा।

ANNEXURE-7

THE M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED
PANCHANAN, 3 rd FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL-462003

FINANCIAL RATE CONTRACT OFFER FOR SUPPLY OF BIOGAS ACCESSORIES THROUGH ONLINE INVITED BY M.P. AGRO FOR THE YEAR 2017-18 AND ONWARDS.

1. Name & address of the Offerer : ....

   ....

   Tel. No. .... Mob. No......................................

   E-mail :.....................................

2. Name & address of the Manufacturer ....

   ....

   Tel.No...................................... Mob.No...

   E-mail :....................................

	Description of Biogas Accessories	Rate of Biogas Accessories Including all taxes	
		Within M.P.	Out of M.P.
1	HDPE Pipes having ISI No.4984/95 20mm. (10 kgcm2) PE 63	Basic price Per Mtr..--- GST---------------------- Total ---------------------	Basic price Per Mtr.--- IGST--------------------- Total---------------------

Financial offers are to be uploaded on the website www.mpeproc.gov.in only.

SIGNATURE OF OFFERER WITH SEAL

परिशिष्ट 8

रेट कान्ट्रेक्ट आफर में प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेजों का विवरण –

1. परिशिष्ट–11 के अनुसार निर्धारित प्रारूप में रूपये 500.00 के नान ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर पर आर सी ओ में भाग लेने की सहमति।
2. 20 एम.एम.एच.डी.पी.ई. पाईप हेतु बी आई एस के वैद्य लायसेंस की स्वः प्रमाणित प्रति ।
3. आफरकर्ता का वाणिज्य कर जी.एस.टी. एन एवं आयकर विभाग का पंजीयन (पेन) की स्वप्रमाणित प्रति।
4. आफर प्रस्तुत करने के लिये आहर्ताएं के अनुसार वांछित दस्तावेजों की स्वः प्रमाणित प्रति ।
5 रेट कान्ट्रेक्ट आफर प्रपत्र के सभी पृष्ठों पर सील एवं आफरकर्ता के हस्ताक्षर आवश्यक है।
6. संकल्प धन राशि का बैंक ड्राफ्ट परिशिष्ठ 5 के अनुसार ।
7. आफरकर्ता फर्म का नाम किसी भी शासकीय विभाग निगम मंडल एवं किसी बैक द्वारा काली सूची में दर्ज नही है और न ही किसी प्रकार का कानूनी विवाद है, इस आशय का घोषणा पत्र राशि रूपये 500.00 के स्टाम्प पर संलग्न करना । **परिशिष्ठ कमांक –11**
8. आफरकर्ता का विवरण संलग्न **परिशिष्ठ –12**

वित्तीय आफर

परिशिष्ट कमांक 7 के दिये गये प्रारूप में वित्तीय आफर जिसे वेबसाईट पर ही अपलोड किया जाना है।

रेट कान्ट्रेक्ट आफर की हार्ड प्रतियां निर्धारित समय तक प्रस्तुत न किये जाने की स्थिति में ऐसे प्राप्त आफर्स पर विचार नहीं किया जावेगा ।

परिशिष्ट कमांक–9

:: अनुबंध :

(राशि रू. 1000.00 के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर नोटराइज किया जाना है)

यह अनुबंध आज दिनांक .... को मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम जो कि कम्पनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत गठित शासकीय उपक्रम है तथा आगे इसे ''निगम'' कहा जावेगा एवं मेसर्स .... की ओर से श्री .... जिनके हस्ताक्षर अनुबंध पर है, जिन्हें आगे प्रदायक कहा जावेगा के बीच निष्पादित किया गया है ।

यह कि निगम द्वारा समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित कर बायोगैस सहायक सामग्री अंतर्गत ....प्रदाय हेतु दिनांक –––––– को रेट कान्ट्रेक्ट आफर आमंत्रित किये गये एवं प्रदायक द्वारा रेट कान्ट्रेक्ट आफर प्रपत्र निगम की वेबसाईट से डाउनलोड करते हुए एवं रेट कान्ट्रेक्ट आफर की सभी शर्तो को मान्य करते हुए रेट कान्ट्रेक्ट आफर में भाग लिया गया है । रेट कान्ट्रेक्ट आफर प्रपत्र भी इस अनुबंध का हिस्सा है।

निगम द्वारा पत्र कमांक .... दिनांक .... से प्रदायक की रेट कान्ट्रेक्ट आफर में उल्लिखित दरों को मान्य करते हुए अनुबंध करने बाबत् कार्यवाही की गई है ।

अनुबंध के साथ संलग्न परिशिष्ठ में वर्णित सामग्रियों एवं उनके समक्ष्य दर्शायी गयी दरों को निगम व्दारा स्वीकृत किया गया है एवं प्रदायक के रेट कान्ट्रेक्ट आफर में वर्णित शर्तो के अनुसार सामग्रियों को निगम के माध्यम से प्रदाय करने हेतु सहमत है ।

निम्नानुसार दस्तावेज/दस्तावेजों में उल्लेखित शर्ते एवं नियम इस अनुबंध का हिस्सा होंगे एवं अनुबंधकर्ता को मान्य होगें। शर्तो एवं नियमों का अनुबंधकर्ता यदि उल्लंघन करता है तो निगम पूर्ण रूप से रेट कान्ट्रेक्ट आफर प्रपत्र अनुसार कार्यवाही करने हेतु पूर्ण रूप से अधिकारी रहेगा ।

1. रेट कान्ट्रेक्ट आफर प्रपत्र में उल्लेखित सभी शर्ते ।
2. प्रदायक का सहमति पत्र दिनांक ....
3. प्रदायक द्वारा प्रस्तुत रेट कान्ट्रेक्ट आफर (दस्तावेज)व संलग्न जानकारियां ।

उक्तानुसार उल्लेखित दस्तावेज/दस्तावेजों के उल्लेखित नियम व शर्ते अनुबंध का हिस्सा रहेंगे। अनुबंध के संबंध में किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में निगम के प्रबंध संचालक का निर्णय अंतिम और मान्य रहेगा।

उक्तानुसार विवरण के आधार पर दोनों पक्ष के मध्य अनुबंध उल्लेखित दिनांक को संपादित किया जाता है ।

प्रदायक	
गवाह : 1	गवाह : 1.

महाप्रबंधक (एनसीई)

अनुबंध का परिशिष्ट 9 (अ)

प्रदायक का नाम एवं पता ....

....

फोन नम्बर ....

फैक्स नम्बर ....

मोबाईल नं. ....

क्र0			इकाई	दर सभी कर एफ.ओ.आर. निगम के कार्यालय तक तक पहुंचाकर	
				अंकों में	शब्दों में

प्रदायक के हस्ताक्षर एवं सील

परिशिष्ठ कमांक 10

Authority to submit Tender On behalf of Mfa. company

(On manufacturers company's letterhead)

To,

The Managing Director

M.P.State Agro Industries Development Corporation Ltd.

Panchanan Bhawan, 3rd Flore ,

Malviya Nagar,

Bhopal

Sub : Authority to submit Rate Contract Offer

Dear Sir,

I………………………………………………………Designation .... hereby authorize M/s ………………………………………………………………to submit Rate Contract Offer for the year 2017-18 to M.P. State Agro Industries Corporation Ltd on behalf of the company due on ....

We hereby undertake that the Company shall abide by all the terms and conditions as mentioned in Tender Document.

I further certify that I am authorized to issue this certificate on behalf of the company.

.

(Signature)

Name

Designation

Tel No

Mobile No

E mail

परिशिष्ट–11

दि एम.पी.स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन
पंचानन भवन, तृतीय मंजिल,मालवीय नगर, भोपाल

वर्ष 2017–18 में निगम के माध्यम से बायोगैस सहायक सामग्रियों के प्रदाय हेतु रेट कान्ट्रेक्ट आफर बाबत् सहमति पत्र एवं घोषणा पत्र

(रूपयं 500/– के नान ज्यूडिसियल स्टाम्प पर)

मैं ....मेसर्स ....की ओर से जो निगम द्वारा आमंत्रित रेट कान्ट्रेक्ट आफर में हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत हूँ । मेसर्स ....द्वारा जारी अधिकार पत्र की मूल प्रति संलग्न है। निगम के रेट कान्ट्रेक्ट आफर में उल्लेखित शर्तो के अनुसार बायोगैस सहायक सामग्री –...के प्रदाय करने हेतु सहमत हूँ ।

एम पी स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड (निगम) द्वारा हमारे ऑफर को मान्य किये जाने की दशा में आदेशानुसार अनुबंध की समय सीमा में निर्धारित शर्तो एवं मापदण्ड अनुसार निर्धारित दरों पर आदेशित सामग्री समस्त मध्य प्रदेश में प्रदाय हेतु मैं/हम सहमत है । हम रेट कान्ट्रेक्ट आफर की सभी शर्तो से सहमत हैं एवं तदानुसार प्रदायगी का कार्य करेंगे । यदि अनुबंध उपरांत निगम द्वारा दिये गये आदेशों से संबंधित प्रदायगी में किसी प्रकार की शिकायत आती है अथवा रेट कान्ट्रेक्ट आफर की शर्तो का उल्लंघन होने से निगम को अथवा उनके हितग्राहियों को हानि होती है तो उस हानि की पूर्ति निगम हमारे द्वारा जमा की जा रही धरोहर राशि एवं हमारे बिलों से कर सकता है ।

हमारी फर्म किसी भी शासकीय संस्था/उपक्रम/बैंक द्वारा काली सूची में दर्ज नहीं है तथा हमें न ही कभी प्रदाय के लिये दंडित किया गया है । इस संबंध में कोई भी कानूनी विवाद किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है ।

संकल्प धन राशि रूपये ..../– प्रस्तुत की जा रही है, जो हमारा ऑफर मान्य होने की दशा में में धरोहर राशि के रूप में निगम के पास जमा रहेगी ।

हमारे द्वारा रेट कान्ट्रेक्ट आफर की सभी नियम एवं शर्तो को ध्यान पूर्वक पढ़ लिया गया है एवं हम तदानुसार सभी शर्तो पर पूर्ण रूप से सहमत हैं ।

दिनांक : आफरकर्ता के हस्ताक्षर एवं सील

गवाह

.... (हस्ताक्षर)

....

नाम एवं पता

परिशिष्ट कं.–12

THE M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPN.LTD.

PANCHANAN, III FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL

DETAILS OF THE OFFERER

1	Name of Individual Offerer State Private or Public Limited	------------------------------------ ------------------------------------
2	Complete Postal address of the individual Offerer including name of Principal Officer/Person /Chairman/Managing Director	------------------------------
	PHONE NO. Fax. No.	Office : Mobile : Fax____________
	E mail	
3	Particular of the Registration certificate issued	Registration No. Date_________________
4	G.S .T.Registration.	GST N No._________
5	**Name/Names of Proprietors / Partners/Directors including full address (enclose partnership deed/ Memorandum & Articles of Association/ Society Registration (as the case may be).**	
6	Name and address of Bankers with Telephone Numbers along with bank account no of offerer	Name of the Banker Name of the Branch Tel.No. Bank Account No
7	State whether Manufacturer/ Distributor / Dealer.	____________
8	Whether Debarred or penalized by any Central/State govt. organization at any time If the reply is yes, when & why give proper details (use separate sheet, if required).	Yes / No.
9	**Have you ever supplied any item to this Corporation, If yes, give details of item and year of supply.**	-----------------------
10	Do you have any associate company(s)?	------------------------

11	**Do your Directors / Partners have interest in some other Offerer/Society. If yes, give details.**	----------------------
12	Is any of your relative working or serving in this Corporation in any capacity?	---------------------
13	Are you having any branch office? If yes, please give details of address, Telephone No. Fax No. etc.	---------------------
14	E.M.D.	Amount : DD No. : Date :

Signature of Offer